

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क०/बो.का./बैक./सी.भ./कनि.अंके./लेखा.-3/158/पार्ट-1/345 भोपाल,दिनांक 14/02/2019

--: आदेश :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा समूह 02 उपसमूह-02 अंतर्गत उप अंकेक्षक, लेखा सहायक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 के अन्तर्गत मेरिट सूची के आधार पर लेखापाल तृतीय संवर्ग में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के पद के लिये बैकलॉग सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को वेतनबैंड 5200-20200+ग्रेड-पे 2100/- में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 (सातवां वेतनमान) अनुसार वेतनमान लेवल-05 (वेतनमान 22100-70000) में न्यूनतम वेतन 22100 एवं अन्य भत्तों पर नीचे उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम-1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	रोल न.	वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट		नाम एवं सरनेम	लिंग	दिव्यां गता	वर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम		जिला
		वर्ग	मे.क्रं.					9	10	
1	24222092	UR/O	1	श्री अमरनाथ सराफ	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	नीमच	नीमच
2	24203543	UR/O	2	श्री नीलेश कुमार त्रिपाठी	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	बदनावर	धार
3	24222718	UR/O	3	श्री शिवानन्द पाण्डेय	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	औबेदुल्लागंज	रायसेन
4	24207071	UR/O	4	श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	धामनोद	धार
5	24222179	UR/O	5	श्री भूपेन्द्र सिंह	M	X	UR	म.प्र.रा.कृ.वि. बोर्ड	मुख्यालय भोपाल	भोपाल
6	24221953	UR/O	7	श्री जितेन्द्र पटेल	M	X	UR	म.प्र.रा.कृ.वि. बोर्ड	मुख्यालय भोपाल	भोपाल
7	24210477	UR/O	8	श्री शुभम व्यास	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	मनावर	धार
8	24216210	UR/O	9	श्री राहुल कुमार चौहान	M	X	UR	म.प्र.रा.कृ.वि. बोर्ड	मुख्यालय भोपाल	भोपाल
9	24220895	UR/O	10	श्री प्रवीन कुमार गुप्ता	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	भीकनगांव	खरगौन
10	24202295	UR/O	11	श्री राहुल तिवारी	M	X	UR	मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय	रीवा	रीवा
11	24217095	UR/O	12	श्री गोपाल शर्मा	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	तराना	उज्जैन
12	24206491	UR/O	13	श्री शिवम गुप्ता	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	पिपल्या	मंदसौर
13	24214964	UR/O	14	श्री हर्ष शर्मा	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	निवाड़ी	निवाड़ी
14	24219257	UR/O	15	श्री अजय सक्सेना	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	सनावद	खरगौन
15	24208929	UR/O	16	श्री सिद्धार्थ द्विवेदी	M	X	UR	कृ.उ.म. समिति	मुंगावली	अशोकनगर
16	24214332	UR/O	17	श्री अनुज जैन	M	X	UR	म.प्र.रा.कृ.वि. बोर्ड	मुख्यालय भोपाल	भोपाल
17	24216700	OBC/O	1	श्री दीपक दांगी	M	X	OBC	कृ.उ.म. समिति	हरपालपुर	छतरपुर
18	24206892	OBC/O	2	श्री प्रेम सिंह राजपूत	M	X	OBC	कृ.उ.म. समिति	राजनगर	छतरपुर
19	24207548	OBC/O	3	श्री मशकुर आलम	M	X	OBC	कृ.उ.म. समिति	मनासा	नीमच
20	24213786	UR/F	1	सुश्री रश्मि घोष	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	छतरपुर	छतरपुर

(1)

Handwritten signature/initials

कं.	रोल न.	वर्गवार,श्रेणीवार मेरिट		नाम एवं सरनेम	लिंग	दिव्यां गता	वर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम		जिला
		वर्ग	मे.कं.					9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	24217211	UR/F	2	सुश्री डोली रघुवंशी	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	गौतमपुरा	इन्दौर
22	24199915	OBC/F	1	सुश्री प्रियंका पाली	F	X	OBC	कृ.उ.म. समिति	बडामल्हरा	छतरपुर
23	24212249	UR/F	3	सुश्री भारती रामचन्दानी	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	मुरैना	मुरैना
24	24201963	UR/F	4	सुश्री पूजा द्विवेदी	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	सेवढा	दतिया
25	24203511	UR/F	5	सुश्री अंजुला सिंह ठाकुर	F	X	UR	मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय	जबलपुर	जबलपुर
26	24207211	UR/F	6	सुश्री प्रगति शर्मा	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	बकतरा	सीहोर
27	24200789	UR/F	7	सुश्री सृष्टि जैन	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	पेटलावद	झाबुआ
28	24207296	UR/F	8	सुश्री दृशी भार्गव	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	अंजड	बड़वानी
29	24208805	UR/F	9	सुश्री गीता पटेल	F	X	UR	कृ.उ.म. समिति	हरसूद	खण्डवा
30	24202525	SC/O	1	श्री सन्तोष कुमार भेलावे	M	X	SC	कृ.उ.म. समिति	उदयपुरा	रायसेन
31	24206296	SC/O	2	श्री रवि धारीवाल	M	X	SC	कृ.उ.म. समिति	पथरिया	दमोह
32	24210013	SC/O	3	श्री चन्द्र शेखर महोलिया	M	X	SC	कृ.उ.म. समिति	खेतिया	बड़वानी
33	24203876	UR/VH/O	1	श्री आदर्श जैन	M	VH	UR	कृ.उ.म. समिति	सीधी	सीधी
34	24214224	SC/F	1	सुश्री एकता अकोदे	F	X	SC	कृ.उ.म. समिति	बदरवास	शिवपुरी
35	24203838	OBC/EH/O	1	श्री सौरभ दहबरा	M	EH	OBC	कृ.उ.म. समिति	सोनकच्छ	देवास
36	24207401	UR/ARMY/O	1	श्री राजपाल सिंह	M	S	UR	कृ.उ.म. समिति	बालाघाट	बालाघाट
37	24217460	UR/ARMY/O	2	श्री रमण कुमार बरकल्ले	M	S	UR	कृ.उ.म. समिति	केवलारी	सिवनी
38	24219834	OBC/ARMY/O	1	श्री रूपेश कुमार झाड़े	M	S	OBC	कृ.उ.म. समिति	रीवा	रीवा

शर्त:-

- 01- यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 02- अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तथा उसे एक माह का या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।
- 03- उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त (2) के अंतर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल योग्य होगी।



- 04— उपर्युक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवार्य तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
- 05— नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 06— कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक/एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।
- 07— नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
- 08— परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।
- 09— स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोड़ने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के, जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।
- 10— चयनित/अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय-समय पर आयेजित प्रशिक्षण/कार्यक्रमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- 11— चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता म0प्र0 प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड की चयन सूची में अंकित मेरिट/प्रतिक्षा क्रम के अनुसार ही रहेगी, भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेंगे।
- 12— यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओ के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियों आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नहीं पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/सत्यापन नहीं होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होंगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।
- 13— म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ-पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

- 14- यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अथवा पुलिस को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- 15- भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहना होगा।
- 16- समय-समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तों संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होंगे।
- 17- बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।
- 18- विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।



(फैज अहमद किदवई)

प्रबंध संचालक

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र०/बो.का./बैंक./सी.भ./कनि.अंके./लेखा.-3/158/पार्ट-1/346 भोपाल,दिनांक 14/02/2019
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
02. प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के निज सहायक, मुख्यालय भोपाल।
03. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
04. उपसंचालक/कार्यपालयंत्री/सहायक यंत्री/सहायक संचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
05. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
06. संयुक्त/उप संचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अभ्यर्थी के सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख तैयार करें/संधारित करें तथा इनकी उपस्थिति से तत्काल मुख्यालय को अवगत कराये।
07. सहायक लेखाधिकारी (पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
08. अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
09. श्री/सुश्री/श्रीमति
- 10- आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गोपनीय चरित्रावली शाखा/लेखा शाखा/मण्डी कार्मिक/स्टोर शाखा/प्रशासन शाखा/कम्प्यूटर शाखा/वाहन शाखा/लायब्रेरी शाखा/वरिष्ठता सूची पटल/बोर्ड कार्मिक, एवं अन्य शाखामण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल


प्रबंध संचालक

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल